

फार्म

अचल संपत्ति विवरणिका वर्ष 2015.16

1. अधिकारी / कर्मचारीका पूरा नाम ... रमेश चंद्र शर्मा  
 3. कार्यालय का नाम ..... परीक्षण संभाग के अन्तर्गत 220 कि.बो. उपकेन्द्र रतलाम  
 5. भविष्य निधि क्रमांक 14069902

2. वर्तमान धारित पद... 018985  
 4. वर्तमान वेतन... 20250 + 2500  
 6. कर्मचारी संख्या... 84521821

जिस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी / कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया। खरीद, पट्टा, वंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
राजवाड़ा जिला राजवाड़ा	39 प्लॉट नंबर राजवाड़ा		26,00,000/-	स्वयं के नाम पर	HDFC बैंक से जेब लेकर धारित किया गया		
अलमोरा जिला अलमोरा		भूमि, सड़क 89,114 वर्ग फुट 2.79	50,00,000/-	स्वयं	जिला की भूमि के पश्चात् विरासत से प्राप्त।	30,000/-	

हस्ताक्षर R. S. Sharma  
 नाम: रमेश चंद्र शर्मा  
 पद: L.M.

\* जहां लागू न हो काट दीजिए  
 \*\* ऐसे मामले में नहीं मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:-  
 मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह अपने पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।